

कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।

पत्रांक: 125/जि0प0/2017-18

दिनांक: 17-3-2018

सेवा में,

प्रबन्धक

आर0डी0एम0 कालेज ऑफ फार्मेटिकल साइंस एण्ड रिसर्च,
मानपुर शिवपुरी धामपुर,
जनपद-बिजनौर।

विषय:- आर0डी0एम0 कालेज ऑफ फार्मेटिकल साइंस एण्ड रिसर्च, मानपुर शिवपुरी धामपुर, जनपद-बिजनौर। के निर्मित भवन हेतु मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय


कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन के मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के अनुपालन में जिला पंचायत, बिजनौर के ग्राम्य क्षेत्रान्तर्गत निर्मित/निर्माण किये जाने वाले सभी प्रकार के भवनों के मानचित्र एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से लागू नक्शा उपविधि में प्राविधानित सुसंगत मानकों के अनुसार क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/अभियन्ता द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार विवरण निम्नवत् है।

भवन की संरचना (प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार)

- 1-कुल भूखण्ड क्षेत्रफल-10051.65 वर्ग मीटर
- 2-सभी तलों का आच्छादित क्षेत्रफल-2316.44 वर्ग मीटर
- 3-फ्लोर एरिया रेशियो (एफ0ए0आर0)-0.23
- 4-भूखण्ड का खुला क्षेत्रफल-7735.21 वर्ग मीटर
- 5-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग के अनुसार है।
- 6-निर्मित भवन में भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।
- 7-पार्क, टोट-लोट्स, लैंडस्केप आदि का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- 8-भवन से हाई वोल्टेज इलैक्ट्रिक लाईन की दूरी नक्शा उपविधि में अंकित उर्ध्वादर/क्षैतिज दूरी क्रमशः 3.70 मीटर/1.80 मीटर से अधिक है।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर


Secretary
Th. Harpal Singh Smarak Cheritable Trust
Manpur Shivpuri (Bijnor)

9-भूखण्ड में 01 वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से वृक्ष स्थित हैं, जिनको बिना वन विभाग की अनुमति नहीं काटा जायेगा।


भवन का अधिमोग विवरण:-शैक्षणिक भवन


प्रस्तावित निर्मित भवन राष्ट्रीय भवन संहिता (नैशनल बिल्डिंग कोड-2005) व भारतीय मानक ब्यूरो में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार होगा। साथ ही भूकम्परोधी व सुरक्षित अभिकल्प (डिजाइन) होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी, जिसके सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन के उपयोग से पूर्व प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भवन स्वामी/संस्था की होगी। साथ ही प्रस्तावित भवन के सैंटबैक जिला पंचायत नक्शा उपविधि-2018 के अनुसार हैं, जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा तथा भवन के चारों तरफ अग्निशमन दमकलों के आवागमन हेतु कम से कम चार मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग का होना आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत भवन मानचित्रों की अनुज्ञा प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/संस्था में सभी प्राविधान नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार बनाये रखेंगे तथा निर्मित भवन परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार करने से पूर्व जिला पंचायत बिजनौर अवगत कराना होगा व भवन के प्रयोग करने से पहले जिला पंचायत नक्शा उपविधि के अनुसार जिला पंचायत, बिजनौर से स्थायी पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर


Secretary
Th. Harpal Singh Smarak Charitable Trust
Manpur Shivpuri (Bihar)